

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय—आदेश:—

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	विदेश जाने का स्थान व तिथि
1	RAMPAL SAINI, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADHORA (212983) SIKRAI DAUSA RJJP200518017023	Geography	30.07.1979	THAILAND, BANGKOK 15/04/2023 से 20/04/2023 कुल दिवस - 6 दिवस
2	ATUL KUMAR SHARMA, MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SIKANDRA (212989), SIKANDARA DAUSA RJDA201113032563	Geography	05.07.1988	THAILAND BANGKOK 15/04/2023 से 20/04/2023 कुल दिवस - 6 दिवस
3	DHANESH SAINI, SHAHID VIKRAM SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHATRI (217340), BHUSAWAR BHARATPUR RJBP201307000905	Geography	12.07.1990	THAILAND BANGKOK 13/04/2023 से 21/04/2023 कुल दिवस - 9 दिवस
4	SURENDRA SINGH, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUDHAWA (213346), DANTARAMGARH SIKAR RJSK201433026651	Geography	15.08.1986	THAILAND, BANGKOK 15/04/2023 से 21/04/2023 कुल दिवस - 7 दिवस
5	DHARMPAL, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RATUSAR (215335), SARDARSHAHAR CHURU RJCR201112019571	Geography	02.07.1982	THAILAND, BANGKOK 15/04/2023 से 21/04/2023 कुल दिवस - 7 दिवस
6	VINOD KUMAR, SHAHID GUNNER SHRI MUKESH BHASKAR GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHUKHRERI (215568) RATANGARH CHURU RJTO201036002697	Geography	07.07.1987	THAILAND, BANGKOK 15/04/2023 से 21/04/2023 कुल दिवस - 7 दिवस
7	PRADEEP AVASTHI, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AKHAIGARH (217249), NADBAI BHARATPUR RJAL201502000351	Geography	15.08.1986	THAILAND, BANGKOK 14/04/2023 से 21/04/2023 कुल दिवस - 8 दिवस
8	DILEEP KUMAR PANWAR, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEVLIA (223811), TALWARA BANSWARA RJBN199603003545	Geography	18.05.1971	COUNTRY-CANADACITY- BARRIE, 15/05/2023 से 25/06/2023 कुल दिवस - 42 दिवस

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar

Designation: Joint Director Personnel

Date: 2023.04.10 15:05:05

Reason: Approved

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा प्रयोजन के लिए पदस्थापन करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अगले कार्य दिवस से कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

RajKan Ref No : 3613511



करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लें:-
 - (अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (स) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (द) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/विदेश अनुज्ञा/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित संस्थाप्रधान, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें, साथ ही यह सुनिश्चित करें की विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 10/04/2023

सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.04.10 21:52:37 IST
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKey Ref No. 3613511

